कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः 472 / 12-1 देहरादूनः दिनांक 8 सितम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। **(Online No-FP/UK /ROAD /31090/ 2017)**।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/112/2018/एफ0सी0 /584 दिनांक 27.07.2023।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 27.07.2023** के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 456/12–1 दिनांक 22.08.2023 से प्राप्त आख्या/सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.स.	आपत्ति	निराकरण
1	As per the DSS analysis, 4.60 ha area of patch no. 3 of the proposed CA area is found overlapping with CA area of online proposal no. FP/UK/ROAD/38399/2019 and FP/UK/ROAD /42256/2019. The state Government is requested to submit clarification in this regard and provide the area for CA having no overlapping.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना में क्षतिपूरक रोपण हेतु नये क्षेत्र चयनित कर लिये गये है। नये क्षेत्रों के Map KML File स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र प्राक्कलन Online Part II Para 13 में अपलोड कर दिये गये है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:– 1–पूर्वी क्रान्तेश्वर क0 सं0 11 अ – 6.0 है0 2–पूर्वी देवीधूरा धूनाघाट क0 सं0 22 व 25 – 5.5 है0 3–पूर्वी देवीधूरा धूनाघाट क0 सं0 22 व 25 – 7.0 है0 **कुल योग – 18.5 है0**
2	It is seen that three CA area patches are uploaded in online Part-II at para-13, As per the DSS analysis , the area for CA comes to 45.12 ha, 2 ha is found in VDF and 16 ha in MDF, the state government is requested to submit clarification in this regard,	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्तानुसार चयनित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 18.5 है जो कि हस्तान्तरित की जा रही वन भूमि 8.94 के दोगुने क्षेत्र के अनुरूप है।
3	The detail of compartment number of CA polygons mentioned in state Government letter referred above is not matching with the details of compartment number uploaded in PARIVESH portal. State Government is requested to remove this discrepancy in the details of compartment number of CA area.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित क्षेत्र परिवेश पोर्टल में भी संशोधित कर दिये गये हैं।
4	It is also seen that point No 4 is still not attended in accordance to the discussion held for this case in FRCM on 27/03/2023 which is as follows and required to be attended. 1- The clarification submitted by project Proponent to justify the 24m width of the road was not found to be as per the rules issued by MORTH in its letter dated 23-03-2018 and in the order dated 15.12.2020 regarding the width of the road in hilly and	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 1– भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के आदेश दिनांकित 15.12.2020 (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 3 पर निम्नानुसार उल्लिखित है :– "For roads in hilly and mountainous terrain which act as feeder roads to the Indo-China border or are of strategic importance for national security, the carriageway width should be 7m with 1.5m paved shoulder on either side" चम्पावत बाईपास हेतु डी0पी0आर0 में उपरोक्तानुसार 10 मीटर

	mountainous terrain which act as feeder roads to the Indo-China border or are of strategic importance for national security. 2- Therefore, the State Government was aske to submit necessary document to the effect that the proposed road acts as feeder roads to the Indo-China border or is of strategic importance for national security and also ensure that the width proposed for the taken for the road is in accordance with the above orders.	कैरिजवे का ही प्राविधान किया गया है। IRC : 52- 2019 के Fig 6.3 में Road Land दर्शाया गया है। (प्रति संलग्न), जिसमें स्पष्ट है कि कैरिजवे से अधिक roadway (formation width) होती है एवं उससे अधिक road land होती है। IRC : 52-2019 के Table 6.1 (प्रति संलग्न) के अनुसार National & State Highway double lane हेतु hilly and mountainous terrain में 24 मीटर चौड़ाई में land की आवश्यकता होती है, तद्नुसार ही वन भूमि प्रस्ताव बनाया गया है। 2– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील सं0 10930/2018 के निर्णय दि0 14.12.2021 के विन्दु सं0 14 पृष्ठ संख्या 14 पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि टनकपुर – पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग एक सामरिक महत्व की सड़क है एवं विन्दु संख्या 68 पृष्ट संख्या 59 पर उल्लिखित है कि सामरिक महत्व की सड़कों का 2 lane with paved shoulder से कम न बनाया जाये **(माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न है।)**

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

06/09/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 472 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।